कुमार.

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स देवेन्द्र इक्विपमेंट, पार्टनर–श्री कंचन कुमार सिंह, पिता–श्री देवेन्द्र कुमार, पता–एम/448, लक्ष्मी निवास, रोड नंबर–04 कंकड़बाग, पटना द्वारा भोजपुर सोन–23 बालू घाट मौजा–नरैयणागंज, ब्लॉक–अगिआंव, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 29.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे भोजपुर जिला के अगिआंव प्रखण्ड सभागार, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2255/2023, के आलोक में श्री सुनील कुमार पाण्डेय, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास पदाधिकारी, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 29.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अगिआंव प्रखण्ड सभागार, जिला–भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 22.04.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (460 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव / मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया / सुझाव
1.	श्री विक्की सिंह, ग्राम–मेहदौरा, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से स्थानीय लोग को क्या लाभ मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। स्थानीय क्षेत्र के आस–पास ग्रीनवेल्ट विकास किया जायेगा। क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा।
2.	श्री लक्ष्मी कांत राय, ग्राम–नारायणागंज, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन परियोजना से जो प्रदूषण होगा उसके लिए पर्यावरणीय सलाहकार से जो सुझाव दिया गया है उनको शत–प्रतिशत लागू किया जाय।
3.	श्री सुर्यदेव कुमार, ग्राम– किरकीरी, जिला– भोजपुर ।	इनके द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में पेय–जल का दिक्कत है। ट्रक–ट्रेक्टर चलने से धूल उड़ेगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। इसके लिए क्या उपाय किये जायेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार बताया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय–समय पर किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। PUC निबंधित वाहन का ही उपयोग किया जायेगा। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पेय–जल PHED द्वारा आपूर्त्ति किया जाता है, अगर उनके

		पास राशि नहीं होगी, तो औचित्य रहने पर हमलोग योजना (मिशन कायाकल्प) में ले लेंगे।
4.	श्री नीतीश कुमार, पिता–श्री रामनाथ यादव, ग्राम–किरकीरी , जिला–भोजपुर ।	इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ की जमीन उपज़ाऊ है। पेड़–पौधा लग जाते हैं। गाड़ी का गति पर कन्ट्रोल होना चाहिए। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोग के सहयोग से अधिक पेड़ लगायेंगे। संवेदक गाड़ी का गति कम रखना सुनिश्चित करेंगे।

खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

उन्होंने कम–से–कम 600 पेड़ लगाने का सुझाव दिये। पौधो का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो समस्या आयेगी। संवेदक से मिलकर समस्या का निराकरण सुनिश्चित करायें। लाभ तभी मिलेगा जब साकारात्मक सोच रखेंगे। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास पदाधिकारी
भोजपुर

उपस्थिति सूची

मेसर्स देवेन्द्र इक्विकपमेंट, पार्टनर-श्री कंचन कुमार द्वारा सोन 23 बालू घाट, मौजा-नरैयणागंज, ब्लॉक-अगिआंव, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री सुशील कुमार पाण्डेय	निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भोजपुर	[illegible] 29/05/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	संभाग पदाधिकारी, बि० रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	[illegible] 29-5-23
3.	आनन्द प्रकाश	स्वनिज विकास पदाधिकारी भोजपुर	[illegible] 29/05/23
4.	नीतिश कुमार प्रोप० प्रसादश्रम	Raja Bazar, Patna PAM Solution	Nitish Ku.
5.	नीतिश कुमार	vill+post- Kirkiri P.S. Azimabad. Bhojpur	Nitish Kumar
6.	सुरेन्द्र कुमार	vill+post- Kirkiri P.S.- Azimabad, Bhojpur	Surendra Kumar
7.	महेश कुमार	vill+post- Kirkiri P.S- Azimabad- Bhojpur	महेश कुमार
8.	किशोर बहादुर राम	Bhikhipur tola	किशोर बहादुर राम
9.	कृष्णकान्त यादव	[illegible]	कृष्णकान्त यादव
10.	लक्ष्मीकान्त राय	नारायणगंज	लक्ष्मीकान्त राय
11.	पंकज कुमार सिंह	गोपालगंज	पंकज कुमार सिंह
12.	जयेन्द्र सिंह	फुलाड़ी	[illegible]

13.	विकास कु० पाण्डेय	मुजफ्फरपुर	(विकास)
14.	राजीव रंजन	डुमरियाँ	Rajeev Ranjan
15.	मुकेश कुमार	मुजफ्फरपुर	मुकेश कुमार
16.	बिजली सिंह	मेहदौरा (नारायणगंज)	Bidur Singh
17.	हेमंत साहनी	नरहपुर	हेमंत साहनी
18.	विकास राय	नारायण टोला	विकास राय
19.	मनीषा कुमार	नारायणगंज	मनीषा कुमार
20.	Abay Kumar	नरायना	Abay Kumar
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			